न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 24/2015, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,दौसा जिला दौसा।

बनाम

2. श्री जगदीश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति कीर निवासी कुण्ड मोहल्ला महवा थाना महवा जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : सहायक लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार
: गैरसायल उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 9.4.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री जगदीश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति कीर निवासी कुण्ड मोहल्ला महवा थाना महवा जिला दौसा का रहने वाला है जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है पूरे मोहल्ले में इस व्यक्ति का आतंक है एवं मोहल्ले के आसपास का वातावरण दूषित कर रखा है एवं मोहल्लेवासियों को जबरन जुआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करता है ऐसा नहीं करने पर धमकियां देकर दबाव बनाता है व जान से मारने की धमकियां देता है, गरीब तबके के आम आदमी का आमदनी का अधिकतर हिस्सा यह शक्स जुआ सट्टे में खर्च करवा देता है। जुआ सट्टा के कारोबार के कारण इस व्यक्ति के पास बाहर के गुण्डे बदमाश की आमद रफत रहती है। इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस या अन्य अधिकारी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इस कारण इसके मोहल्ले वासियों एवं आस पास के लोगों का जीना दुर्भर कर रखा है एवं लोगों की जान व सम्पत्ति को खतरा पैदा हो गया है। इसके विरूद्ध थाना महवा में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है–

1. मु0नं0 23/05 धारा 13 आर.पी.जी.ओ.थाना महवा जिला दौसा।
2. मु0नं0 126/05 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
3. मु0नं0 43/06 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
4. मु0नं0 74/06 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
5. मु0नं0 205/06 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. मु0नं0 219/06 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
7. मु0नं0 27/07 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
8. मु0नं0 469/09 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
9. मु0नं0 293/10 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
10. मु0नं0 351/12 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
11. मु0नं0 551/12 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
12. मु0नं0 598/12 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।
13. मु0नं0 2/2013 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना महवा जिला दौसा।

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। गैर सायल उपस्थित हुआ। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य ली जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य की गई। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना महवा की रिपोर्ट व बयानों में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा तीन बार से अधिक अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना महवा में जुआ-सट्टा करता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ-सट्टा हेतु प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। इस कारण क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। सहायक लोक अभियोजन द्वारा बहस में बताया गया कि जगदीश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति कीर निवासी कुण्ड मोहल्ला महवा थाना महवा जिला दौसा के इलाके में रहने से शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ ऐसा कोई केस या आरोप नहीं है जो संगीन किस्म का हो। प्रार्थी के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के केस है जो काफी पुराने समय के हैं तथा संगीन अपराधिक किस्म के प्रकरण नहीं है, इन केसों का निर्णय भी हो चुका है। प्रार्थी अब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासें में लगाए गए आरोपों को साबित माना जाने के अलावा कोई विकल्प इस न्यायालय के समक्ष शेष नहीं रहता है। इस्तगासा के साथ प्रस्तुत प्रथम सूचना, आरोप पत्र साक्ष्य के रूप में सही मानी जाती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 24 / 2015,गुण्डा एक्ट

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इलाका हाजा में कानून व्यवस्था व सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा इलाका हाजा के माहौल को खराब नहीं कर सके। गैर सायल के खिलाफ तीन से अधिक प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें गैर सायल जगदीश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति कीर निवासी कुण्ड मोहल्ला महवा थाना महवा जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार गैर सायल जगदीश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति कीर निवासी कुण्ड मोहल्ला महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 9.4.2018 से 15 दिन की समयावधि के लिए थाना महवा जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि थाना क्षेत्र लालसोट में निवास करते हुए अपनी उपस्थिति थानाधिकारी लालसोट जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थाना अधिकारी लालसोट जिला दौसा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official